International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 08-06-2019; Accepted: 10-07-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 5; September 2019; Page No. 53-56

भारत में मुस्लिम महिलाओं की एतिहासिक पृष्ठ भूमि : उनके अधिकारों के विशेष सन्दर्भ में

श्शाईस्ता परवीन [1], हिमांशु बौड़ाइ [2]

[1] शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, हे. न. ब. ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत।

[2] प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, हे. न. ब. ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थिनी द्वारा भारत में इस्लाम के एतिहासिक परिपेक्षय में मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में महिलाओं की जटिल विविधता तथा 12 वीं शताब्दी (भारत में मुस्लिमों का आगमन) से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, मुस्लिम महिलाओं का योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सबसे बडे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में उनकी चुनौतियाँ, व महिलाओं के आन्दोलन की सफलताओं तथा विफलताओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में हम समझते है कि महिलाओं के उदारवादी आन्दोलन की शुरूआत 19 वीं शताब्दी से हुई जबकि इस्लाम में इसकी शुरूआत पैगम्बर मुहम्मद द्वारा हो चुकी थी। पैगम्बर मुहम्मद की शिक्षा तथा कुरान ही वे स्रोत है जिनके द्वारा मुस्लिम महिलाऐं अपने अधिकारों को जानने का प्रयास करती है, जिसको इस्लामिक सिद्धान्त कहते है। इस्लामिक सिद्धान्त ने पुरूषों और महिलाओं के लिए सामाजिक समानता को स्वीकार किया परन्तु व्यवहार में महिलाओं को सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में समान भागीदारी करने की अनुमति नही। उदाहरण के लिए, इस्लामिक विवाह एक अनुबन्ध है फिर भी यह पुरूषों और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देता, जहाँ यह केवल पुरूषों को ही बहुविवाह व तलाक देने की अनुमती देता है।

मूल शब्द : मुस्लिम महिलाएं, सामाजिक चुनौतियाँ, स्वतंत्रता।

प्रस्तावना

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस्लाम को यदि मुल्यांकित किया जाये तो इस्लाम में महिला व पुरूष दोनों ही समाज का महत्तवपूर्ण अंग है तथा सैद्वान्तिक रूप से कुरान में लैंगिक समानता के सिद्वान्त पर बल दिया गया है। इस्लाम ने सामाजिक व धार्मिक हितों को ध्यान में रखकर महिला व पुरूष दोनों का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया है। एक हदीस में वर्णित है– ''पति अपने घरवालों की देख–भाल करने वाला है और औरत अपने पति के घर और उसके बच्चों की। तुममें से हर एक से उन लोगों के बारे में पूछ–ताछ होगी जो उसकी देख–रेख में दिए गए हैं।''[1] इस प्रकार इस्लाम में महिला का कार्यक्षेत्र सबसे पहले उसके घर और खानदान को निर्धारित किया गया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लिये अन्य मार्ग बन्द कर दिये गये हैं। इस्लाम पुरूष और औरत दोनो के व्यक्तित्व में कोई भेदभाव नहीं करता। पवित्र कुरान में महिला व पुरूष की इस समानता को वर्णित करते हुए महिला को पुरूष का परिधान और पुरूष को महिला का परिधान ठहराता है, ''वे तुम्हारे लिए लिबास (परिधान) है और तुम उनके लिए लिबास हो।''[2]

उमर ह्यात खान गौरी के अनुसार इस्लामिक विवाह के द्वारा महिला के व्यक्तित्व को पुरूष में विलीन नहीं करता, बल्कि विवाह के बाद भी महिला के व्यक्तित्व को मान्यता देता है। इस्लाम पति और पत्नी दोनों को एक–दूसरे का जीवन साथी करार देता है। वह इनमें से न तो किसी को पूज्य ठहराता है, न पुजारी। इसीलिए विवाह की प्रकृति संविदा की है। इस्लाम के अनुसार औरत भी उसी तरह आदर के योग्य हैं जिस तरह पुरूष। इस्लाम महिलाओं पर भी उसी प्रकार ईश्वरीय आदेशों को लागू करता है जिस प्रकार वह पुरूषों पर। इस्लाम के अनुसार महिला भी अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने उसी तरह जिम्मेदार है जिस तरह पुरूष को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा मृत्यु पश्चात् महिला को भी उसी तरह मोक्ष प्रदान होगा जिस तरह पुरूष को।[3]

चूंकि शोधकर्त्री ने मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक प्रस्थिति (उनके विशेष अधिकारों के सन्दर्भ में) को अपने शोध अध्ययन का विषय बनाया है अतः मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक अधिकारों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –

- शिक्षा का अधिकार।
- व्यक्तिगत स्वतन्त्राता का अधिकार।
- समानता व बराबरी का अधिकार (समान कर्म के लिए समान पुरस्कार प्राप्ति)।
- सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार।
- आर्थिक संरक्षण का अधिकार।
- संपत्ति का अधिकार।
- अपनी शर्तों के अनुसार विवाह करने का अधिकार।
- मेहर प्राप्त करने का अधिकार (विवाह के अवसर पर वधू को वर की ओर से दी जाने वाली रकम)।
- तलाक का अधिकार (पुरूष के समान महिला भी तलाक ले सकती है जिसको खुला कहते है)।
- आस्था की आजादी का अधिकार
- समाज सेवा का अधिकार।
- शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार।
- गोपनीयता का अधिकार।
- असहमति का अधिकार।

इस प्रकार मुस्लिम महिलाएँ मुस्लिम पुरूषों के समान अधिकार रखती हैं और उनका यह अधिकार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं निर्बाध है तथा इसमें जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि अधिकारों सहित सभी पक्ष आ जाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को देखा जाऐ तो निःसन्देह तत्कालीन हालातों में पैगम्बर द्वारा इस्लामिक राज्य व्यवस्था में नारी गरिमा स्थापित करने हेतु जो प्रयास किये गये वह क्रान्तिकारी थे। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर महिला सहभागिता को प्रोत्साहित करने का कार्य किया।

भारत में मुस्लिमों के आगमन के समय मुस्लिम महिलाओं की स्थिति

छठीं शताब्दी से ही अरब यात्री और व्यापारी भारत के दक्षिणी–पश्चिमी

तटीय द्वीपों से मसालों के व्यापार के लिए आया करते थे। व्यापारिक यात्राओं के दौरान विश्राम स्थल के रूप में वह दक्षिण भारत के मालाबार तट भी जाते थे। मालाबार तट एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रयुक्त होता था। कुछ अरबवासी वहीं आकर बस गये तथा दक्षिण की नायर महिलाओं से विवाह भी किये, 'मोपला' समुदाय का इसी से प्रार्दुभाव हुआ। मोपला शब्द अरबी शब्द माफिला की व्युत्पत्ति है। उस समय दक्षिण में जातिगत व्यवस्था के कारण भेदभाव अवश्य था, परन्तु योग्यता के कारण जो अल्प संख्या में मुसलमान राजदरबार की सेवा में नियुक्त किये जाते थे। उन्हें सामाजिक महत्व और प्रतिष्ठा भी दी जाती थी। इसी महत्व और प्रतिष्ठा के कारण दक्षिण भारत में मुस्लिम नम्बूदरी ब्राह्मणों के साथ बैठ सकते थे। एक नवोदित धर्म होने के कारण इस्लाम का संदेश कुछ भारतीयों को काफी स्पष्ट और हृदयग्राही लगा तथा उत्साहित होकर ये लोग इस्लाम का प्रचार–प्रसार करने लगे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म परिवर्तन का उत्साह इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही आरम्भ हो गया था। यद्यपि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि दक्षिण में इस्लाम किसी योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुआ। इस्लाम दक्षिण के अन्य भागों में भी फैल गया और छोटे–छोटे समुदायों का उदय हुआ, जिनकी भाषा और रीति–रिवाज अलग थे। कलान्तर में यह समुदाय वहाँ के स्थानीय रंग में पूरी तरह रंग गए। इस काल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति स्पष्ट नही थी क्योंकि अधिकतर मुसलमान अपने साथ महिलाओं को नही लाये तथा भारतीय महिलाओं से विवाह किये। अतः उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति में विलीन हो गयी।

मध्यकालीन भारत (सल्तनत काल) में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति

भारत में इस्लाम धर्म के प्रवेश का महत्वपूर्ण समय 8 वीं शताब्दी से शूरू हुआ जब भारत के उत्तर पश्चिम से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। उसने सिंध तथा दक्षिण पंजाब को जीत लिया। इसके बाद 10 वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर बार–बार आक्रमण किये, देश को लुटा तथा भारी मात्रा में धन अपने साथ ले गया। उसका उद्देश्य सिर्फ लूट मार करना था। 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसका उद्देश्य लूट मार नहीं वरन शासन करना था। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका सेनापति कुतुबुददीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुलतान घोषित किया और गुलाम वंश की स्थापना की।[4] इस प्रकार 1526 तक भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश का शासन रहा।

सल्तनत युग की स्थापना के साथ ही भारत में मध्य युग का जन्म हुआ। राजनीति और प्रशासन के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मध्यकाल का प्रारम्भ क्रांतिकारी माना जाता है क्योंकि पहली बार सत्ता मुसलमानों के हाथों में थी।[5] ये अपने साथ एक विशिष्ट सभ्यता तथा धर्म प्रचार की भावना के साथ भारत आये। भारतीय जनता भी धीरे–धीरे इस्लाम की ओर उन्मुख हो रही थी तथा दो परस्पर विरोधी सभ्यता एवं संस्कृति का आपसी समन्वय हो रहा था जिसके महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर हुए ओर इसका श्रेय महिलाओं को ही जाता है। क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमानों ने भारतीय महिलाओं ये सम्बन्ध स्थापित किये[6], परिणामतः भारतीय महिलाओं के सम्पर्क में आने से मुसलमानों की कटुता कम हुई तथा उनमें उदारता के गुण आये। भारतीय महिलाओं के मुसलमानों के घरों में जाने से भारतीय रीति–रिवाज एवं परम्परायें भी उनके साथ गयी जिसको मुसलमानों ने अपनाना शुरू कर दिया था।

किसी भी काल की संस्कृति का मूल्यांकन उस समय की महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। मध्यकाल में महिलाओं ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रुचि दिखाई, वही राजनीति क्षेत्र में भी पीछे नहीं थी, शासन प्रबन्ध के क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। राजकीय परिवार की महिलाओं को ऊँची–ऊँची उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे मल्के जहाँ, मखदूम जहाँ आदि।[7]

उदाहरण इल्तुतमिश की पत्नी शाहतुर्कान को शासन सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त था। अपने प्रिय पुत्र रुकनुदीन को विलासता में डूबा हुआ देखकर उसने अपने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और स्वयं सलाह देना, राज्य कार्यों का सम्पादन करना तथा राजकीय आज्ञा देना आरम्भ कर दिया।[8]

दूसरा उदाहरण रजिया का मिलता है जिसने गद्दी पर बैठने के बाद सारी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। रजिया इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी, इससे भी कहीं वह मध्यकालीन युग की अद्वितीय महिला थी। रजिया न्यायप्रिय, चतुर, निडर और शूरवीर शासिका थी, रजिया को केवल दिल्ली की जनता और अमीरों का समर्थन प्राप्त था लेकिन मुलतान, झांसी, बदायूं, लाहौर आदि के सूबेदार उसके विरोधी थे। तेरहवीं शताब्दी के भारतीय सुल्तानों में उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह एक महान शासिका थी। जिसमें एक योग्य शासक के समस्त गुण विद्यमान थे।[9] रजिया ने राजपद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासकीय कदम उठाए और अपने विश्वास पात्र सरदारों को ही विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। उसने पहली बार महिला के सम्बन्ध में इस्लाम की परम्पराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से अपने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में बांटने की बजाए सुल्तान के हाथों में ही केन्द्रित करने पर बल दिया।[10]

जलालुदीन खिलजी की पत्नी मल्के जहां भी राजनीति में सक्रिय थी, उसने अपने दामाद आलउदीन के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। जिससे अलाउदीन का घरेलू जीवन कष्टमय हो गया। इस प्रकार मध्यकालीन युग में केवल शाही परीवार की महीलाएं ही राजनीति में सक्रिय थी।

मध्यकाल में आम महिलाओं की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। बालिकाओं के विवाह सात से बारह वर्ष की आयु में कर दिये जाते थे। उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग की महिलाओं को घरेलु कार्यों तक सीमित कर दिया गया था। घर के अन्दर ही उनको केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया था। यद्यपि सम्मान एवं सुरक्षा की दृष्टि से उच्च वर्ग में पर्दा सम्मान का माप होता था। जबकी निम्न वर्ग में पर्दा प्रथा का प्रचलन कम था। किसान और मजदूर वर्ग की महिलाएं घर के सारे कार्यों, खाना पकाना, सफाई व अन्य घरेलू कार्यों तथा बच्चों के लालन–पोषण आदि की जिम्मेदारी तो थी, वहीं पर वह अपने पतियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम भी करवाती थी।[11] ग्रामीण स्त्रियाँ तो कृषि कार्यों, घरेलू काम और बच्चों के साथ इतना अधिक व्यस्त रहती थी कि उन्हें अपने मनोरंजन के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। कुछ महिलाएँ राजघरानों में भी काम करती थी। कुछ दाइयों का[12] जो पढ़ी–लिखी महिलाएँ थीं वो शाही परिवारों में पढ़ाने का कार्य करती थीं।[13] आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति हिन्दू महिलाओं की तुलना में कुछ अच्छी थी। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार के रूप में अपने पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त था।[14] परंतु उनकी सामाजिक स्ळिाति संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में सुल्तानों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के अधिक प्रयत्न नहीं किये बल्कि वे युद्धों और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगे रहे। यहाँ तक कि तत्कालीन धार्मिक व सुधारवादी आन्दोलनों ने भी महिलाओं संबंधी कुप्रथाओं का प्रतिकार या आलोचना करने अथवा उन्हें किसी अधिकारिक स्थिति प्रदान करने का प्रयास नहीं किया।

मुगलकालीन भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति

सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल काल में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक संतुलित थी। मुगलशासकों के समय में राजमहल में हरम की व्यवस्था थी, जहाँ रानीयां तथा उनकी सेवा में दासियाँ होती थी। शासक की माँ को हरम की प्रथम महिला का सम्मान प्राप्त था तथा शासक की प्रथम पत्नी को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। राजपरिवार की महिलाओं ने राजनीतिक एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया। राजकीय परिवारों की मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। वे राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों में भाग ले सकती थी। परन्तु निर्धन मुस्लिम परिवार की महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।[15] तथा सभी मुस्लिम महिलाओं को परदा प्रथा का कठोर रूप से पालन करना पड़ता था। बाबर ने अपनी महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबर की पुत्री गुलबदन की रूची साहित्य में थी, जिसकी एक कृति "हुमायूँनामा" है।

हुमायूँ की पत्नी हमीदा बानू एक चतुर महिला थी जो पति हुमायूँ तथ पुत्र अकबर की सलाहकार थी। हमीदा बानू ने हुमायूँ के मकबरे का निर्माण करवाया था जो उनके वास्तुकला के ज्ञान को दर्शाता है। अकबर की पत्नी

सलीमा बेगम भी एक दूरदर्शी एवं संतुलित महिला थी।[16]

जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। नूरजहाँ का मुगल शासन पर अत्याधिक प्रभाव था। वह शिकार खेला करती थी, वह अनेक कलाओं की जानकार थी, नूरजहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का अविष्कार किया था। परन्तु कुछ इतिहासकार के अनुसार गुलाब के इत्र का अविष्कार उसकी माँ अस्मिता बेगम ने किया था। यह विदूषी महिला थी, शासन कार्यों में यह भी अपनी महत्वपूर्ण राय दिया करती थी। जहाँगीर के अन्तिम वर्षों में उसके पास शासन की वास्तविक शक्तियां आ गयी थी। नूरजहाँ ने जहाँगीर के शासन में अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख एवं सहभागी भूमिका निभायी। शासन में उसका प्रभाव इससे ज्यादा प्रकट होता है कि जहाँगीर के शासनकाल में उसके भी सिक्के चला करते थे।[17]

शाहजहाँ की प्रमुख सलाहकार उसकी पत्नी मुमताजमहल थी, जिसके मरणोंपरान्त उसका स्थान उसकी पुत्री जहाँआरा ने ले लिया। जहाँआरा एक उच्च कोटि की कवियित्री थी, जिसने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। इस प्रकार मुगल राजपरिवार की महिलाएं शिक्षित, सुखी, समृद्ध तथा कला में निपूण थी तथा उनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका थी।

मुगल काल में उच्च वर्ग की गणना शासक वर्ग में की जाती थी, जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में शासकों का अनुकरण करते थे। इस वर्ग के पुरूष भी एक से अधिक पत्नीयाँ रखते थे। इस वर्ग की महिलाएं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करती थी तथा उनको सभी सुख–सुविधाएं उपलब्ध थी। परन्तु अधिक पर्दे के कारण राजनीतिक क्षेत्र में कोई भूमिका नही थी।

मध्यम वर्ग में शिक्षक, हकीम, जमींदार, राजकीय क्रमचारी तथा व्यापारी सम्मिलित थे। इस वर्ग की महिलाओं का जीवन भी सुखमय था, परन्तु उच्च वर्ग से कम। शिल्पकार, कृषक व छोटे व्यापारी वर्ग की महिलाएं घर के कार्यों के साथ–साथ पति के व्यवसाय में भी सहयोग करती थी। इस वर्ग की महिलाओं में व्यस्त होने के कारण पर्दे का उपयोग कम था, इनकी दशा को सन्तोषजनक कहा जा सकता था। निम्न वर्ग की महिलाओं की दशा दयनीय थी, वे अधिकतर अशिक्षित थी तथा उच्च एवं मध्यम वर्ग के परिवारों में काम करके अपना जीविकापोर्जन करती थी।

मुगल काल में महिलाओं की शिक्षा को कुछ शासको एवं समृद्ध लोगों द्वारा बढावा देने का प्रयास किया गया। उनकी शिक्षा के लिये मकतबे खोले गये थे, जहाँ वृद्ध या विधवा महिलाओं द्वारा कुरान व अन्य धार्मिक शिक्षा (हदीस) दी जाती थी। शासक वर्ग की महिलाओं के लिए हरम के अन्दर ही कुरान व अन्य धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ शासन सम्बन्धी शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा शाही परिवारों, उच्च वर्गों तथा कुछ सीमा तक मध्यम वर्गों तक ही सीमित थी। सामान्य वर्गों की महिलाओं की स्वतन्त्रता में पर्दा प्रथा बाधक थी, समय की कमी तथा इसी तरह की कुछ अन्य कुप्रथाओं के कारण वे अशिक्षित रहती थी। इसी तरह निम्न वर्ग की भी महिलाओं को समय और सुविधाओं की बहुत कमी थी, जिससे वे शिक्षा प्राप्त न कर सकी। ग्रामीण वर्ग की महिलाओं को घरेलू कार्यों के साथ–साथ खेतों के कार्यों में भी इतनी अधिक व्यस्त रहती थीं कि उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था। दुर्भाग्यवश सामान्य वर्ग की महिलाओं की शिक्षा एवं जागरूकता के लिये मुगलों द्वारा सुव्यवस्थित कदम नही उठाये गये थे।

मुगल काल में तलाक की प्रथा खुला अैर मुबारत नाम से प्रचलित थी। खुला तलाक में पहल पत्नी की ओर से जबकि मुबारत तलाक में दोनो पक्षों में से कोई भी इसकी पहल कर सकता था। तलाक के पीछे का कोई भी वैध कारण हो सकता था। अलबरूनी के अनुसार मध्यकाल में उच्चतर जातीयों में न तलाक की सुवीधा थी न ही विवाह विच्छेद की, जो मुगल काल के अन्त तक बना रही।[18]

स्वतंत्रता पूर्व भारत (ब्रिटिश काल) में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति–

19 वीं शताब्दी के मध्य में भारत में मुस्लिम सत्ता पूर्ण–रूप से समाप्त हो गयी। यह भारतीय इतिहास का घोर अवनति का समय था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था दिनो–दिन अपनी सत्ता बढ़ाती जा रही थी। 1857 के विद्रोह पश्चात अंग्रेजी शासन ने मुस्लमानों को उनकी जागीरों से भी वंचित कर दिया तथा उनको मिलने वाली सुविधाएं भी छीन ली थी। इस प्रकार मुसलमान राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से पीछे हटता चला गया। मुस्लमानों का उच्च वर्ग निर्धनता में डुबने लगा। शिक्षा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो गयी थी, जिसको रूढ़िवादिता व धार्मिक विश्वास के कारण मुस्लिम समाज स्वीकार नही कर रहा था। मुस्लिम समाज का विश्वास था कि जो शिक्षा अंग्रेज अपने साथ लाए वह उनके धर्म को नुकसान पहुँचायगी। अस्वीकार का दुसरा कारण यह भी था कि उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा शिक्षा कुछ शहरों में ही उपलब्द्ध थी। निर्धनता के कारण मुस्लमान मकतबों व मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश थे, जिनमें महिलाओं की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। फिर भी कुछ उदाहरण मिलते है जिनमें नवाब व जागिरदारों की महिलाओं ने उर्दू साहित्य में अपना योगदान दिया। पटौदी रियासत की शहर बानो द्वारा रचित 'कागजी है पेरहन' उस समय की महिलाओं की कहानी बेबाकी से बयान करती है। अदा जाफरी की 'जो रही बिखरी रही', अतिया फैज की उर्दू साहित्य 'जमाना–ऐ–तहसील' व 'तहजीब–ऐ–निसवा' 1921 में प्रकाशित हुई। अतिया फैज को 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा टिचर ट्रेनिंग फैलोशिप दी गयी और शिक्षा के लिए लन्दन भी गयी। बेगम अनीस किदवी, सालीहा आबिद हुसैन, किशवर नाहीद आदि कुछ मीहलाएं है जिनका साहित्य में योगदान रहा। नवाब सुल्तान जहॉ बेगम जिनको मोती बीवी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होने 1848 में मॉडर्न मदरसा खुलवाया तथा भोपाल में उर्दू, फारसी, अरबी व अंग्रेजी भाषा के मदरसे खुलवाये। गरीब बच्चों के लिए 'क्वीन विक्टोरिया' नाम से स्कुल खोला जिसमे तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। 1903–04 में इन्होंने सुल्तानीया गर्ल्स स्कुल की स्थापना की। सुल्तान जहॉ बेगम ने अपनी आत्मकथा 'तुज्के सुल्तान' में नवाब सिकन्दर के बारे में तथा 'डगर से हटकर' में आम महिलाओं की दयनीय स्थिति को लिखा।[19]

ब्रिटिश काल में हिन्दु व मुस्लिम दोनो ही समाज में पर्दा प्रथा जोरो पर थी। पर्दे का विरोध करना महिलाओं के लिए कलंक समझा जाता था। परम्परागत दृष्टि से महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर था। मुस्लिम महिलाओं का घर से बाहर का कार्य करना परिवारिक सम्मान के विरूध था। सैद्धान्तिक रूप से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार पुरूषों के समान थे, परंतु व्यवहार में महिला केवल अपने परिवार की संचालिका थी। परिवारिक क्षेत्र में भी उनके सारे अधिकार समाप्त हो गये थे तथा समस्त अधिकार पुरूषों के पास थे। पुरूष के बिना कोई महिला किसी भी प्रकार का परिवारिक या सामाजिक निर्णय नही ले सकती थी। प्रायः दहेज प्रथा के कारण तलाक का चलन बढ़ गया था।

ब्रिटिश काल में सभी मुस्लिम महिलाएं आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर थी। किसी भी महिला का घर से बाहर आर्थिक कार्य करना धर्म विरूध समझा जाता था। परिणामतः बडे अमानवीय व्यवहार के पश्चात भी उसे पुरूष की दया पर आश्रित रहना पडता था। उसे घर से बाहर जाने या बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नही थी।

ब्रिटिश काल में सभी महिलाओं की सामाजिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कोई महिला राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा लेने की कल्पना नही कर सकती थी। यह ऐसा समय था जब महिला का घर तो शोषण होता ही था, शोषण करने वाला व्यक्ति खुद अंग्रेजों का गुलाम था। 1919 तक तो महिलाओं को वोट करने का भी अधिकार नही था, तो वह राजनीतिक कार्यों में कैसे भागीदार हो सकती थी। वह समाज में केवल पुरूषों द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने वाली वस्तु मात्र थी। उसके जीवन का एक मात्र उद्देश्य पति एवं उसके परिवार के सदस्यों की सेवा करना था।[20]

स्वतंत्रता के बाद भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति–

स्वतंत्रता के समय प्रगतीशील व उदारवादी विचारों ने पूरे भारत को प्रभावित किया तथा सभी पुरूष व महिलाओं को समान आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। परिणमतः पूरे देश में क्रन्तीकारी परिवर्तन हो रहे थे, परंतु मुस्लिम समाज में परिवर्तन की गति अत्यन्त धीमी थी। स्वतंत्रता के बाद भी मुस्लिम समाज में धर्म गुरू जो परम्परा के महान प्रतिनिधि माने जाते हैं अधिक रूढ़िवादी थे। वे उन परिवर्तनों को मानने का विरोध करते थे जो इस्लामी परम्परा के ढॉचे के बाहर उनकी दृष्टि में आते थे। अधिकतर धर्म गुरूओं का दृष्टिकोण कठोर था, जो पश्चिमी शिक्षा, दर्शन, विज्ञान को स्वीकार नहीं करता था। वे इन सिद्धान्तों को निरर्थक, मूर्खतापूर्ण, अस्थाई एवं काल्पनिक मानते थे। स्वतंत्रता पूर्व अहमद खॉ ने मुसलमानों को

आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया था, परंतु मुस्लिम धर्म गुरूओं ने उनका विरोध किया और उनको इस्लाम धर्म विरोधी भी कहा। उन्होंने मुसलमानों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनमें आधुनिक ज्ञान के प्रति अनादर, उसे अपने ज्ञान की तुलना में हीन समझना और अंग्रेजी शिक्षा से अपरिचित होना भी पाया। सैयद अहमद खाँ ने पाया कि मुस्लिम महिलाओं में आधुनिक शिक्षा के प्रति दुर्भाव को उनके भ्रामक धार्मिक अंधविश्वास ने और भी जटिल बना दिया। उनका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को मुस्लिम महिलाओं मे प्रसारित करना था। उन्होंने अनेक नगरों में स्कूल स्थापित किये तथा अनेक पाश्चात्य पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद भी किया। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हो रहा था। मुस्लिम समाज भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं था। परंतु अधिक परम्परागत व अतिकट्टर मानसिकता पूर्ण होने के कारण मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रभाव अन्य भारतीय समाजों की अपेक्षा कुछ कम दृष्टिगोचर रहा।

स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात् मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, सभी मुस्लिम महिलाओं को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, परंतु मुस्लिम समाज की रूढ़ीवादिता के कारण उनकी शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन कुछ हद तक कम हो गया था परन्तु तलाक का चलन अत्यधिक बढ़ गया तथा पर्दा प्रथा का चलन कम नहीं हो पाया। धीरे–धीरे मुस्लिम महिलाओं ने भी आजीविका के लिए घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, अतः उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया।

स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम महिलाओं की राजनैतिक स्थिति को देख जाए तो पंचायत राज एवं नगरीय निकायों में महिला आरक्षण हो जाने से मुस्लिम महिलायें पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभा रही है परन्तु लोकसभा, राज्यसभा के चुनावों में उनकी स्थिति में सन्तोशजनक सुधार नहीं हुआ है, मुस्लिम महिलाओं का लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्यता प्रतिशत निम्नतर है। 110वें एवं 112 वें संशोधन द्वारा पंचायतीयराज एवं नगरीय निकाय में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे न केवल अन्य वर्ग की महिलाएं बल्कि मुस्लिम महिलाएँ भी इस आरक्षण का लाभ उठा रही है।[21] मुस्लिम महिलाओं में निम्न साक्षरता दर तथा उनमें राजनीतिक जागरूकता के स्तर की कमी भी राजनीति में उनके निम्न प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण है। शैक्षणिक पिछड़ेपन से ग्रस्त महिलाएँ अपने अधिकारों एवं अवसरों के प्रति जागरूक नहीं है।

वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्योंकि मुस्लिम समाज के शिक्षित व्यक्तियों के आगे धार्मिक बंधन थोड़े शिथिल पड़ गये। शिक्षा प्राप्ति के लिए धार्मिक कुठांओं को पीछे छोड़ता हुआ एक बड़ा वर्ग सामने आ गया है। जिन मुस्लिम परिवारों में 2–3 दशक पहले पर्दे का अधिक चलन था वहां अब पर्दा नाम मात्र को रह गया। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं अकेले ही यात्रा करती है और अपने कैरियर के चुनाव के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। नौकरियों में भी बड़े शहरों एवं महानगरों में सरलता से अब मुस्लिम समाज की लड़कियों ने प्रवेश किया है। उनके माता–पिता की तरफ से उन्हें अपना व्यवसाय करने की छूट है। पुरूष वर्ग के भी व्यवहार में पूर्णतः बदलाव देखा जा रहा है। जो पुरूष अपनी शिक्षित पत्नी को भी पूर्ण पर्दे में रखते हैं वह भी अपनी बेटी के लिए कोई पर्दे का बंधन नहीं चाहते। इन सभी बातों से धर्म का बंधन शिक्षित और उच्च वर्ग में शिथिल दिखाई देता है।

इन परिवारों के मुखिया अपने परिवार के लिए तो पूर्ण बदली हुई मानसिकता रखते हैं। परंतु समाज में वह धार्मिक विचारधारा को ही प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे धार्मिक विचार रखते हैं परंतु शिक्षा प्राप्ति के लिए एवं रोजगार प्राप्ति के लिए अपने पुत्र–पुत्रियों पर किसी प्रकार का बंधन नहीं रखते हैं। उन्हें परिवार से पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है जिससे इन माता–पिता की दोहरी भूमिका दिखाई पड़ती है। कहीं उनकी मानसिकता रूढ़िवादी होती है और कहीं प्रगतिवादी। जबकि निम्न व मध्यम वर्ग के मुस्लिम परिवार अशिक्षा एवं धार्मिक बन्धनों के कारण अपनी महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते। उनको नौकरी, व्यवसाय आदि की पूर्ण छूट नहीं रहती। इस वर्ग की मानसिकता अभी पूर्णतः बदली नहीं है। इस वर्ग में अभी पर्दा प्रथा का चलन है।

सन्दर्भ

1. हदीस–सहीह मुस्लिम
2. पवित्र कुरान, 2 : 187
3. गौरी, उमर ह्यात खान, इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पसर्नल लॉ पर ऐतिराज़ात की हकीकत, मर्कजी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 58–59
4. दामोदरन,के, भारतीय चिंतन परम्परा, पृ. 290
5. सिन्हा, बी. डी., दिल्ली सल्तनत, दिल्ली,1992, पृ.144
6. शुक्ल, अशोक, मध्यकालीन भारतीय सांस्कृतिक अनुशीलन, युगबोध, रायपुर, 1987, पृ.214
7. कुरेशी, आईएच, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ देहली, पृ. 65
8. शर्मा, एल.पी., दिल्ली सल्तनत (700–1526 ऐ.डी.) आगरा, 1975, पृ. 85–84
9. मिनहाज–उस–सिराज, तबकाते–ए–नासिरी, अंग्रे. अनु. रेवर्टी, दिल्ली, 1963, पृ. 643
10. मिनहाज–उस–सिराज, तबकाते–ए–नासिरी, अंग्रे. अनु. रेवर्टी, दिल्ली, 1963, पृ. 644
11. चोपड़ा, पी.एन., पुरीदास, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, दिल्ली, 1976, पृ. 46
12. अशरफ, के.एम., हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियां, पृ. 174
13. मेहरा, उमा शंकर, मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, आगरा, 1970, पृ. 25
14. सिद्दकी, मुहम्मद मजहरूदीन, विमेन इन इस्लाम, लाहौर, 1959, पृ. 56
15. राधेशरण, मध्यकालीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2000, पृ. 90
16. दिवेदी, सत्येन्द्र मध्यकालीन इतिहास में महिलाओं की स्थान, ब्लाग ज्ञानप्रदयानी, 2017
17. पिफंडले, एलिसन बैंक्स, नूरजहाँ–एम्मप्रेस ऑपफ मुगल इण्डिया, ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2000, पृ.सं. 256
18. दिवेदी, सत्येन्द्र, मध्यकालीन इतिहास में महिलाओं की स्थान, ब्लाग ज्ञानप्रदयानी, 2017
19. रशीदी, यासमीन, मेरे मुल्क में औरत का कोई नाम नहीं है, दी वायर, 2019
20. मिश्र, रोहित, समाज कार्य एवं महिला सशक्तिकरण, न्यू रॉयल बुक डिपो, लखनऊ, 1999, पृ. 48
21. सिसोदिया, यतेद्रं सिंह, पचांयतीराज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000 पृ. क्र. 18